न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—259 / 2017 / 223 (2017 / 00259)

1. गोपाल पुत्र दुर्गालाल ढोली,
2. मदन पुत्र दुर्गालाल ढोली,
   समस्त निवासी कालेड़ा, कृष्णगोपाल, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी जिला अजमेर ।
2. सत्यनारायण,
3. देवानन्द पुत्र हरदीन,
4. संजय पुत्र हरदीन,
5. कमला पत्नी हरदीन,
   समस्त जाति हरिजन, नि0 कालेड़ा कृष्णगोपाल, तहसील ककड़ी, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, दिनांक 10.7.2017 अंतर्गत राजस्व वाद संख्या 240 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील अपीलांटस ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 से 5 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—20.9.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2017 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—ए एवं 209 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं धारा 136 राज0भू—राजस्व अधि0 1956 के तहत प्रस्तुंत कर निवेदन किया कि वादीगण की वादग्रस्त भूमि वाके ग्राम कालेड़ा कृष्णगोपाल, तह0 केकड़ी में स्थित है । जमाबंदी संवत् 2058 आधार के खाता संख्या 1 के खसरा नंबर 7 रकबा 0.38 है0, खसरा नंबर 11 रकबा 0.11 है0 सिवायचक,जमाबंदी संवत् 2065—68 के खाता संख्या 1 के खसरा नंबर 11 रकबा 0.94 है0, खसरा नंबर 12 रकबा 0.30 है0,खसरा नंबर 38 रकबा 0.04 हे0 सिवायचक, जमाबंदी संवत् 2058 आधार के खाता संख्या 409 के खसरा नंबर 7 / 1697 रकबा 0.32 है0 श्री हरदीन हरिजन के नाम दर्ज है । उपरोक्तानुसर खाता संख्या 1 में

सिवायचक व खाता संख्या 409 में श्री हरदीन हरिजन खातेदार क`नाम दर्ज है । उपरोक्त आराजी खसरा नंबर के पुराने खसरा नंबर 5/1 व 5/2 मि0 का पुराना खसरा नंबर 5/1 में पूर्व में 5 बीघा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के पिता व पति हरदीन पुत्र नन्दा हरिजन के आवंटन थी। खसरा नंबर 5/2 में व 5/1 में वर्णित भूमि जो हरीदन को आवंटन हुई थी । हरदीन ने वादीगण को बचोन कर दी किन्तु संवत् 2058 आधार जमाबंदी में सेटलमेंट अधिकारियों ने उपरोक्त भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जिससे वादीगण की क्रयशुदा आराजी सिवायचक दर्ज हो गई जबकि वादीगण विवादित भूमि पर क्रय दिनांक से आज दिनांक तक काबिज काश्त है । अतः वादीगण को आवंटनशुदा व क्रयशुदा आराजी का खातेदार कृषक घोषित कर प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करते हुए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने वादीगण का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया । प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के अनुपस्थित रहने पर अधी0न्याया0 ने प्रतिवादीगण संख्या 2 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री दिनांक 17.7.2017 द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 उपस्थित । रेस्पो0 संख्या 2 से 5 के अनुपस्थित रहने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खाता संख्या 1 में वर्णित आराजी खसरा नंबर 5/1 वादीगण/अपीलांटस एवं उनके पिता के नाम खातेदारी हक में स्वीकृत थी व कब्जा काश्त भी निरन्तर वादीगण का ही चला आ रहा है परन्तु आधारभूल जमाबंदी संवत् 2058 में नये खसरा नंबर 11 व 38 को सिवायचक दर्ज कर दिया गया जो गलत है । इसी प्रकार वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 के खसरा संख्या 5/1 रकबा 5 बीघा आराजी प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 5 के पिता व पति हरदीन पुत्र नंदा के नाम खातेदारी हक में रही है तथा हरदीन ने अपने जीवनकाल में दिनांक 7.7.1997 को जरिये रजिस्टर्ड व्रिय पत्र के उक्त आराजी को वादीगण के नाम बैचान कर दी थी तथा वादीगण वादग्रस्त आराजी पर विक्रय की दिनांक से आज दिवस तक निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है । उक्त दोनों ही आराजियात वर्किंग जमाबंदी में खसरा नंबर 5/1 व 5/2 का नामांतकरण संख्या 115 दिनांक 16.6.1992 वादीगण के पिता व नामांतकरण संख्या 139 दिनांक 8.10.1997 वादीगण के नाम भर कर तस्दीक किया जा चुका है इसके बावजूद तत्कालीन जमाबंदी में प्रविष्टी का अंकन नहीं होने से नामांतकरण का हवाला नहीं हुआ व जमाबंदी में नोट दर्ज नहीं हुआ है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत किये थे तथा प्रतिवादी ने भी अपने जवाब में वादीगण के वाद को स्वीकार किया था जिससे उनका वाद डिक्री किये जाने योग्य था किन्तु अधी0न्याया0 ने इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर विवादित भूमि सिवायचक सिवायचक दर्ज होना मानकर वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि वादीगण के खाते में दर्ज विवादित भूमि सिवायचक दर्ज होने से अन्य व्यक्ति रामा पुत्र ऊंकार को गलत रूप से आवंटन कर दिया था जिस पर गलती का ऐहसास होने पर राज0सरकार की ओर से रामा पुत्र

ऊंकार के विरूद्ध नियम 14 (4) की कार्यवाही की गई तथा उक्त आवंटन विद्वान अतिरिक्त जिलाधीश, अजमेर ने निरस्त कर दिया था । इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट था कि विवादित आराजियात वादीगण/अपीलांटस की आवंटनशुदा एव क्रयशुदा आराजिया थी जो गलत तरीके से सिवायचक दर्ज की गई । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 10.7.2017 निरस्त किया जावे तथा वादीगण/अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण को कैम्प कोर्ट कालेडा तथा निर्णय दिनांक 10.7.2017 की जानकारी नहीं थी तथा ना ही उक्त निर्णय की जानकारी उनके अभिभाषक द्वारा उन्हें दी गई थी । प्रार्थीगण अपने प्रकरण की जानकारी करने हेतु अभिभाषक से दिनांक 3.9.2017 को मिला तो उन्होंने उक्त निर्णय की जानकारी दी जिसकी प्रमाणित नकल हेतु प्रार्थी ने दिनांक 7.9.2017 को आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 18. 9.2017 को नकल प्राप्त होने पर दिनांक 12.10.2017 को अजमेर आकर अधिवक्ता से संपर्क कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजियात सिवायचक दर्ज है तथा सिवायचक आराजियात बाबत् खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है । अधी0न्याया0 ने वादीगण/अपीलांटस का वाद विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपील अपीलांटस खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलबध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण के गुणावगुण पर अधी0न्याया0 की पत्रावली ए का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि सिवायचक खाते में दर्ज होने से वादी का प्रेमाफैसाई केस नहीं बनता है तथा ना ही वाद पत्र का संतुलन वादी के पक्ष में बनता है। अधी0न्याया0 के उक्त निष्कर्ष से ऐसा प्रतीत होता है जैसे अधी0न्याया0 ने वाद को निर्णित न कर धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया हो । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में यह कहते हुए वाद प्रस्तुत किया है कि विवादित आराजियात वादीगण की आवंटनशुदा तथा क्रयशुदा आराजियात है तथा उक्त आराजियात का आवंटन तथा क्रय के आधार पर वादीगण के पक्ष में नामांतकरण भी तस्दीक किया जा चुका था किन्तु उक्त नामांतकरणों का राजस्व जमाबंदी में अमल–दरामद नहीं किये जाने से विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज हुई है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वाद को निर्णित करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत होने के उपरांत प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर वाद एवं जवाबदावा के आधार पर वाद में आवश्यक तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान से साक्ष्य, सबूत प्राप्त कर वाद को तनकीवार निर्णित करना चाहिये था किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर मात्र 6–7 लाईन में वाद को निर्णित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के

क्रम में अधी0न्याया0 का निर्णय विधिक प्रक्रिया के विपरीत होने से अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय अपास्त योग्य होकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केड़ी का निर्णय दिनांक 10.7.2017 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण अधी0न्याया0 को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे वाद में आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 20.09.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर